


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं -

क्र.सं	नाम व्याख्याता श्री/श्रीमती/सुश्री	कहाँ से राजमावि	जिला	कहाँ को राजमावि	जिला
1	कंचन कराडिया	उनियारा खुर्द टोंक से स्थानान्तरणाधीन	टोंक	बा.भानपुर कला	जयपुर
2	परमसुख शर्मा	हरसाणा लक्ष्मणगढ	अलवर	कोलयाना	जयपुर
3	रामचन्द्र मीणा	आदेशों की प्रतीक्षा में	अजमेर	भगवंतपुरा अराई	अजमेर
4	शशि गुप्ता	आदेशों की प्रतीक्षा में	अजमेर	नांदसी - भीनाय	अजमेर
5	चन्द्रशेखर त्रिपाठी	मे.नटवरसिंह चित्तौडगढ	चित्तौडगढ	बडीसादडी	चित्तौडगढ
6	रामकुमार स्वामी	सरदारशहर से स्थानान्तरणाधीन	चूरु	बा.डुंगरगढ	बीकानेर
7	राजेन्द्र कुमार मीणा	आदेशों की प्रतीक्षा में सरदारशहर	चूरु	सरदारशहर चूरु	चूरु
8	शंकरलाल शर्मा	सायों का खेडा	राजसमंद	राजसमंद	राजसमंद
9	शकुन्तला	बा.चारभुजा	राजसमंद	फतहपुर - खमनौर	राजसमंद


उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 12.06.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। जिन कार्मिकों को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है, वे आगामी आदेशों तक अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा में देंगे एवं उनके आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। जिन कार्मिकों का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित किया जावे। क्र.सं. 05 एवं 06 को नियमानुसार यात्रा व्यय एवं योगकाल देय होगा यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण विधवा/दिव्यांग कार्मिक के विरुद्ध हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे अन्यथा प्रभारी संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित उप निदेशक कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।


(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-6/स्थानान्तरण/राजनीति विज्ञान/2018
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

दिनांक- 05/06/18

- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक. . .
- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक. . .
- सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- सम्बन्धित कार्मिक
- रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर